न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 01/2025
3. उनवान : 1. गोपाल लाल पुत्र महादेव
   2. नरसाराम पुत्र महादेव
   3. परसाराम पुत्र महादेव
   4. सुरेश पुत्र मोहन लाल
   5. शिवपाल पुत्र महादेव
   6. सोहन लाल पुत्र महादेव समस्त जाति जाट निवासी ग्राम काबरों का बास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।
2. गजानन्द पुत्र हेमाराम जाति जाट ग्राम काबरों का बास, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 23.07.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट अपीलांट की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री सीताराम जाट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम काबरो का बास, पटवार हल्का रलावता तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1391/2 रकबा 1.4795 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है तथा अपनी भूमि के चारो ओर तार बाउण्ड्री कर कृषि कार्य करते आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल के समक्ष दिनांक 20–06–2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम काबरो के बास में पुराना रास्ता है जो खसरा नम्बर 1391/2, 1391/1, 1390/4, 1378, 1390 की सीमा से होकर आगे नाडा तलाई से बोबास्यो की ढाणी होता हुआ बधाल से होकर ईटावा जुनस्या में जा रहा है। उक्त रास्ता सैटलमेन्ट रिकोर्ड के समय से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–07–2024 को आदेश दिया गया कि ग्राम काबरों का बास के खसरा नम्बर 1378 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 1391/2 से निकलता है जिसे खसरा नम्बर 1391/2 के खातेदारो द्वारा बंद किया गया है। उक्त रास्ते को सुखाचार के आधार पर खुलवाने हेतु टीम गठित कर आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। न्यायालय द्वारा दिनांक 06–11–2024 को अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर इस आशय से प्रकरण को पुनः गुण दोषगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–02–2025 पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अपील पेश

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

की गई। अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 11-02-2025 प्रार्थना पत्र संख्या 2/2024 उनवानी गजानन्द बनाम गोपाल न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल को निरस्त फरमाया जावे।

अपील के संलग्न अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11/02/2025 एवं संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम जाट उपस्थित हुए। प्रकरण के सन्दर्भ में मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि ग्राम काबरों का बास, पटवार हल्का रलावता तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1391/2 रकबा 1.4795 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है तथा अपनी भूमि के चारो ओर तार बाउण्ड्री कर कृषि कार्य करते आ रहे है। ग्राम काबरो के बास में पुराना रास्ता है जो खसरा नम्बर 1391/2, 1391/1, 1390/4, 1378, 1390 की सीमा से होकर नाडा तलाई से बोबास्यो की ढाणी होता हुआ बधाल से होकर ईटावा जुनस्या में जा रहा है। उक्त रास्ता सैटलमेन्ट रिकोर्ड के समय से चला आ रहा है। गांव में जाने का आम रास्ता है जो परसराम पुत्र महादेव, सुरेश पुत्र मोहन की जमीन खसरा नम्बर 1391/2 जो कि उक्त रास्ते में लगी हुई है। उक्त व्यक्ति के द्वारा रास्ते को अपना हिस्सा बताकर नाजायज तरीके से रास्ते को बंद करने की धमकी देने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के समक्ष दिनांक 20-06-2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि खसरा नम्बर 1378 में गजानन्द पुत्र हेमाराम के नाम से है तथा खसरा नम्बर 1391/2 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम है। तथा खसरा नम्बर 1229 चारागाह है। 1292/2 की उत्तरी सीमा 1391/1 की उत्तरी सीमा व 1390 के बीच में व 1390/4 की उत्तर में 1390/1 के उत्तर में डोटेड रास्ता बना हुआ है। ऐसा कोई डोटेड रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध नक्शा व राजस्व रिकोर्ड में उपलब्ध नही है तथा मौके पर रास्ता चालू नही है तथा खसरा नम्बर 1391/2 की पश्चिमी सीमा पर तारबंदी की हुई है। दिनांक 29-07-2024 को आदेश दिया गया कि ग्राम काबरों का बास के खसरा नम्बर 1378 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 1391/2 से निकलता है जिसे खसरा नम्बर 1391/2 के खातेदारो द्वारा बंद किया गया है उक्त रास्ते को सुखाचार के आधार पर खुलवाने हेतु टीम गठित कर आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06-11-2024 को अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया था कि उभय पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मौके व रिकोर्ड की जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। रेस्पाडेन्टस संख्या 2 की भूमि काफी समय से पडत पड़ी हुई है जिसे कभी रास्ते की जरूरत ही नही रही यदि रेस्पोडेन्टस को किसी प्रकार के रास्ते की आवश्यकता है तो वह धारा 251 ए के तहत प्राप्त करने का अधिकारी हैं। जब मूल धारा 251 में संशोधन नही कर दिया गया तो धारा 251 ए के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। न्यायालय द्वारा बिना पक्षकारो की बहस सुने व जवाब साक्ष्य प्रस्तुत हुये ही पुनः दिनाक 11-02-2025 को निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में किसी भी पक्षकार के साक्ष्य सबुत गवाह नही लिये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्तियों का

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जयपुर

उपयोग करते हुये निर्णय पारित किया है जबकि इस धारा के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र रेफर किया जायेगा। उसके पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा उभय पक्षो के साक्ष्य सबूत लेने के पश्चात् यदि प्रकरण जनहित का पाया जाता है तो निर्णय पारित किया जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 1378 के बाबत कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किये गये कि पूर्व में इस खसरा नम्बर के खातेदार कौन थे तथा कृषि कार्य हेतु किस रास्ते से, किस रास्ते को उपयोग में लिया जाता था। विवादित आराजीयात के बाबत उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 14/2025 विचाराधीन है जिसमें मौके व रिकोर्ड हेतु आदेश पारित किये गये है। खसरा नम्बर 1391/2 के खातेदारो द्वारा रास्ते की भूमि को स्वयं की भूमि बताते है तथा रास्ता बंद करने की धमकी देते है। अधिनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि वो 1391/2 की भूमि की नाप जोख कर बाद में अगर कोई रास्ता था तो उसके बाबत अलग से कार्यवाही की जानी चाहिये थी तथा जब स्वयं प्रार्थी ने मौके पर रास्ता चालू होना बताया है तो तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था क्योंकि प्रार्थी द्वारा न तो रास्ता 1391/2 में बताया और ना ही अपने प्रार्थना पत्र में मौके पर रास्ता बंद होने का कथन किया। ऐसी परिस्थितियो में तहसीलदार को किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल के प्रार्थना पत्र संख्या 2/2024 उनवानी गजानन्द बनाम गोपाल निर्णय दिनांक 11–02–2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोंडेंट सं0 2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल के समक्ष दिनांक 20–06–2024 को अपीलाधीन आराजीयात तक जाने के सुचारू रास्ते को बंद किये जाने से पुनः खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते को खुलवाने हेतु राजस्व टीम गठित की गई। उक्त विवादित रास्ता सेटलमेन्ट के समय से चालू है जो आम जनता के आने–जाने हेतु उपयोग में आ रहा है। उक्त तथ्य की पुष्टि अपीलांट द्वारा अपील मीमो में भी की गई है। पटवारी हल्का रलावता की रिपोर्ट दिनांक 11.12.2024 में भी खसरा नंबर 1391/2 में पूर्व में खुलवाये गये रास्ते को डंडियां डालकर बन्द करने का अंकन किया गया है। मा0 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 06/11/2024 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट/अप्रार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाब प्रस्तुत किया गया है। धारा 251 के प्रावधान अनुसार यदि किसी खातेदार की भूमि में पूर्व से प्रचलित रास्ते का उपयोग उपभोग अन्य खातेदार या आम जनता द्वारा मार्गाधिकार के रूप में किया जा रहा है तो मार्ग के खातेदारों द्वारा मार्ग के उपयोग उपभोगकर्ता अन्य खातेदारों व आम जनता को आने–जाने के सुखाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत प्रावधानों की पालना में जारी किया गया है, जो आम जनता के हित एवं सुखाचार से संबंधित है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। हस्तगत अपील तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के प्रकरण सं0 2/2024 में पारित निर्णय दिनांक 11/02/2025 के विरूद्ध विचाराधीन है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06/11/2024 को निर्णय पारित कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। आदेश दिनांक 06/11/2024 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांट/गैर सायलान को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 23/12/2024 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 03/01/2025 को जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया तथा अपीलांट द्वारा स्वयं का पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखा गया था। अतः अपीलांट का सुनवाई का अवसर ना दिये जाने का कथन साबित नहीं होता है। यह तथ्य निर्विवाद है कि नक्शा ट्रैस चकतराशी तरमीमी मौजा बधाल सन 1946 में ख0नं0 1391 की उत्तरी सीमा व 1390 में डॉटेड रास्ता बना है। परन्तु वर्तमान नक्शा लठ्ठा में यह रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निजी सुखाचार हेतु पिछले 5-7 वर्षों से चालू रास्ते को बंद किए जाने के पश्चात पुनः खोले जाने के आदेश दिए गए है। परन्तु तहसीलदार द्वारा यह तथ्य किसी प्रकार के साक्ष्य आदि से स्थापित नहीं कराया गया है कि रास्ता कब से चालू था व कब बंद किया गया। मात्र पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 8/7/2024 में वर्णित है कि "पूर्व में एक रास्ता ख0नं0 1391/2 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे ख0नं0 1378 की सीमा तक चालू था जिसे ख0नं0 1391/2 के खातेदारों ने बंद कर दिया है।" पटवारी हल्का की ही रिपोर्ट दिनांक 8/1/2025 में वर्णित है कि "ख0नं0 1391/2 में पूर्व में कब तक रास्ता चालू रहा था तथा कब उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया, उक्त संबंध में चाही गई रिपोर्ट उच्च अधिकारियों ILR की उपस्थिति में जांच किया जाना संभव है।" संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 5/2/2025 में पटवारी हल्का तथा ILR द्वारा अंकित किया गया है कि "ख0नं0 1391/2 में से जो रास्ता गुजर रहा था उक्त रास्ता पिछले 5-7 वर्षों से चल रहा था। उक्त रास्ता माह जुलाई 2024 में खातेदार के द्वारा रास्ता बंद कर दिया था।" इस प्रकार पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित नहीं होता कि रास्ता कब से चालू था। पटवारी हल्का तथा ILR रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्या नहीं लिया गया है कि रास्ता कदीमी है अथवा नहीं । भू-धारक यह स्थापित करने में असफल रहा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 सुखाचार से संबन्धित है। इस धारा के अधीन व्यक्तिगत अधिकार आता है, जो कि निजी सुखाचार है, न कि 'लोक सुखाचार'। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं0 2 के प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2024, जिस पर कार्यवाही शुरु की गई, स्वयं आम रास्ते का वर्णन करता है। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित है कि "ख0नं0 1391/2, 1391/1, 1390/4, 1378, 1390 की सीमाओं से होकर आगे नाडा तलाई से होकर बोबासियों की ढाणी से होता हुआ बधाल से होकर ईटावा व जूनियां में जा रहा है। जो उपरोक्त रास्ता सैटलमेंट रिकार्ड के समय से चला आ रहा है। जो उपरोक्त गांव में जाने का आम रास्ता है।" प्रार्थना पत्र में उक्त रास्ते को बंद किए जाने का वर्णन नहीं है अपितु धमकी मात्र बताई गई तथा उक्त रास्ते को पक्का करने का निवेदन किया गया है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 8/7/2024 से स्पष्ट है कि वर्तमान रिकार्ड (नक्शा लठ्ठा) में कोई रास्ता अंकित नहीं है। उक्त रिपोर्ट में जिस रास्ते को पूर्व में चालू

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय), जयपुर

होना बताया, वह मात्र ख0नं0 1378 की सीमा तक चालू बताया। उक्त रास्ते के संबंध में पटवारी हल्का की अगली रिपोर्ट दिनांक 8/1/2025 में पटवारी हल्का द्वारा लिखा गया कि पूर्व में रास्ता कब तक चालू था तथा कब बंद किया गया, की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में की जा सकती है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट्स का निजी सुखाचार होना एवं कदीमी रास्ता होने के तथ्य को साबित नहीं कर पाए हैं। मात्र नक्शा ट्रैस चकतराशी में डॉटेड रास्ता दर्ज होना (जो वर्तमान नक्शे में दर्ज नहीं है) वर्तमान में रास्ता होना साबित नहीं करता है। डॉटेड रास्ता पगडण्डी को दर्शाता है, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश दिनांक 11/02/2025 स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है तथा खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के प्रकरण संख्या 2/2024 उनवानी गजानन्द बनाम गोपाल में पारित निर्णय दिनांक 11/2/2025 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर